

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :- रणजीत कुमार आर.ए.एस.

अनवान :- प्रार्थना पत्र संख्या 28/2024

सुरेश कुमार पुत्र भागीरथ जाति जाट निवासी ततारसर, तहसील व जिला श्रीगंगानगर

-- प्रार्थी

--: बनाम ::-

1. राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर

-- अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट

--: उपस्थिति ::-

1. प्रार्थी सुरेश कुमार
2. पैरोकार राज

-- प्रार्थी स्वयं
-- अप्रार्थी 1



--: निर्णय ::-

दिनांक :-22.11.2024

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआर एक्ट में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी ततारसर तहसील व जिला श्रीगंगानगर का निवासी है। यह कि प्रार्थी के नाम से संयुक्त खाता की कृषि भूमि चक 11 एल0 एल0, पटवार हल्का ततारसर, खाता संख्या 141 (नया), खाता संख्या 108 (पुराना), के पत्थर नं. 0 के मुर्ब्बा नं. 46 के किला नं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11/1, 12/2, 13/1, 14/2, 15/1 कुल 3.1000 हैक्टेयर नहरी भूमि दर्ज जमाबंदी सम्वत् 2072 2075 है, जिसमें से प्रार्थी के नाम से 1/20 हिस्सा दर्ज है, जिसकी कि प्रार्थी मालिक काबिज है, जिसका इंतकाल नम्बर 48 दिनांक 03-12-1996 को दर्ज हो चुका है। नकल जमाबंदी एवं नामांतरण संलग्न प्रार्थना पत्र है। प्रार्थी का वास्तविक नाम सुरेश कुमार पुत्र भागीरथ राम जाति जाट है। प्रार्थी के नाम से आधार कार्ड व कक्षा 10वीं की अंकतालिका जारी है जिसमें भी प्रार्थी का नाम सुरेश कुमार ही है, लेकिन राजस्व रिकार्ड में लिपकीय भूलवश प्रार्थी का नाम पपू दर्ज हो गया है, जो कि गलत दर्ज हो गया है। प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में पपू एवं जाति कुम्हार दर्ज होने के कारण प्रार्थी को काफी दिक्कत एवं परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि प्रार्थी के अन्य दस्तावेजों में उसका नाम सुरेश कुमार एवं जाति जाट दर्ज होने के कारण प्रार्थी अपनी सरकारी सुविधाओं का लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहा है क्योंकि राजस्व रिकार्ड व अन्य दस्तावेजों में नाम का मिलान नहीं होने के कारण प्रार्थी को क्षति कारित हो रही है। उक्त दोनों नाम पपू व सुरेश कुमार एक ही व्यक्ति के है, अलग-अलग व्यक्ति के नहीं है। इस सम्बंध में ग्राम पंचायत ततारसर के द्वारा भी अपना प्रमाण पत्र जारी किया हुआ है, जो कि संलग्न है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि उपरोक्त वर्णित चक 11 एल0 एल0 के खाता संख्या 141 (नया), खाता संख्या 108 (पुराना), में प्रार्थी का नाम पपू पुत्र भागीरथ जाति कुम्हार को

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

दुरुस्त कर सुरेश कुमार पुत्र भागीरथ जाति जाट दर्ज किया जाकर इसी नाम से खातेदारी घोषित की जाने के ओदश फरमाये जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर पैरोकार राज तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर से जांच रिपोर्ट ली गई। पैरोकार राज तहसीलदार(राजस्व) श्रीगंगानगर द्वारा जरिए कमांक 3911 दिनांक 10.07.2024 के रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार प्रार्थी के शपथ पत्र व दस्तावेज के आधार पर पपू की जगहर सुरेश कुमार पुत्र भागीरथ जाति जाट किया जाना प्रस्तावित है।

प्रार्थी को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के समर्थन में स्वयं का आधार कार्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की मार्कशीट, कार्यालय ग्राम पंचायत ततारसर द्वारा तस्दीक प्रमाण पत्र, तहसीलदार श्रीगंगानगर की रिपोर्ट, का अवलोकन किया गया। अभिलेखीय साक्ष्यों एवम् तहसीलदार श्रीगंगानगर से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया गया।


—: आदेश :-

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआर एक्ट स्वीकार किया जाकर प्रार्थी का नाम जमाबंदी सम्वत् 2072-2073 के चक 11 एलएल पटवार हल्का ततारसर, भू.अ.नि. चूनावट तहसीलव जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 141/108 में प्रार्थी का नाम पपू पुत्र भागीरथ को दुरुस्त कर सुरेश कुमार पुत्र भागीरथ दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि यदि उक्त वर्णित भूमि पर ऋण भार की स्थिति हो तो वह पूर्वानुसार रहेगी उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/ गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 22.11.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


सुप्रीम (अधिकारी राजस्व)
सुप्रीम (अधिकारी राजस्व)
श्रीगंगानगर